

न्यायालय- अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, देवबंद, सहारनपुर।
सत्र वाद सं० 24/2022

राज्य

बनाम

फैजान

मु०अ०सं० 362/2021

अन्तर्गत धारा 3/25/27 आयुध अधिनियम

थाना देवबंद, जिला सहारनपुर।

आरोप

मैं सुश्री निधि, अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश देवबंद जिला सहारनपुर आप अभियुक्त फैजान को निम्नलिखित आरोप से आरोपित करती हूँ-

यह कि दिनांक 16.06.2021 को समय करीब 18:00 बजे स्थान राजपुर से गोपाली रोड सकरपुर माफी तिराहा अन्तर्गत थाना देवबंद जनपद सहारनपुर में आपको पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया गया तथा आपकी जामा तलाशी पर आपके कब्जे से 1 तमन्चा 315 बोर बरामद हुआ, जिससे आपने दिनांक 10.06.2021 को झगड़े के समय मंजूर पुत्र जहीर को जान से मारने की नीयत से गोली चलाई थी। जिसको रखने का आपके पास कोई वैधानिक अधिकार नहीं था। इस प्रकार आपने ऐसा अपराध कारित किया जो आयुध अधिनियम की धारा 3/25/27 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध है, जो इस न्यायालय के प्रसंज्ञान में है।

एतद्द्वारा आपको निर्देश दिया जाता है कि उक्त आरोप की बाबत आपका विचारण इस न्यायालय द्वारा किया जायेगा।

दिनांक: 19.12.2023

(सुश्री निधि)

अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश

देवबन्द, सहारनपुर ।

उक्त आरोप अभियुक्त को पढ़कर सुनाया व समझाया गया। अभियुक्त ने आरोप से इन्कार किया तथा विचारण की मांग की।

दिनांक: 19.12.2023

(सुश्री निधि)

अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश

देवबन्द, सहारनपुर ।